क्रम संख्या–178 (घ–1)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शुक्रवार, 01 दिसम्बर, 2006 ई0
अग्रहायण 10, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग

संख्या 862/XII/06/94(01) 04
देहरादून, 01 दिसम्बर, 2006

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, सन् 1961) (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) की धारा 40 की उपधारा (2) और धारा 44 के साथ पठित धारा 237 के द्वारा प्रदत्त शक्ति और इस निमित्त समर्थकारी समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग के पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों से सम्बन्धित सभी नियमावलियों का अधिक्रमण करके निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तरांचल जिला पंचायत अधिकारी (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 2006

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल जिला पंचायत अधिकारी (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 2006 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. विषय या प्रसंग में जब तक कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(1) "अधिनियम" से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, सन् 1961) (समय–समय पर यथा संशोधित और उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) अभिप्रेत है;

(2) "औसत परिलब्धियां" से उस महीने के, जिसमें सम्बन्धित अधिकारी की सेवानिवृत्ति होनी हो, ठीक पिछले 10 महीनों में आहरित या राज्य सरकार के सेवकों को समय–समय पर यथा अनुज्ञेय, औसत परिलब्धियां अभिप्रेत हैं;